COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(99)

**न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल**

प्रकरण कमांक /निगरानी/2017 R/1000-II/17

लीलाधर यादव आ. श्री टीकाराम यादव आयु वयस्क
निवासी पी.डब्ल्यू.डी.आफिस के पास, वार्ड नंबर 09
बुदनी जिला सीहोर म0प्र0।..........................................................निगरानीकर्ता

**विरूद्ध**

जयराम जुगानी पुत्र मनसाराम जुगानी वयस्क
निवासी सिंधी कालोनी, ग्वालटोली, होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद म0प्र0।..........................................................रेस्पाण्डेंट

आज दिनांक 23/3/17 को श्री एम.एम. ... द्वारा भोपाल ... प्रस्तुत
23/3/17

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 13/04/2016 प्रकरण कमांक 10/अ-12/15-16 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील बुदनी जिला सीहोर**

**प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-**

**01. प्रकरण कमांक 10/अ-12/15-16 तहसीलदार महोदय तहसील बुदनी जिला सीहोर म0प्र0 दिनांक 13/04/2016 सीमांकन प्रकरण ग्राम बुदनी तहसील बुदनी जिला सीहोर म0प्र0**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता आदेश दिनांक 13/04/2016 से दुखी एंव प्रभावित होकर प्रकरण कमांक 10/अ-12/15-16 से प्रभावित एंव दुखी होकर निम्न निगरानी उचित समय सीमा में प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद नियत समय सीमा में प्रस्तुत करता है:-

लीलाधर

**प्रकरण के तथ्य**

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट द्वारा विधि एवं प्रकिया के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध तरीके दुषित आदेश पारित कराते हुये प्रकरण कमांक 10/अ-12/15-16 के माध्यम से संलग्न पंचनामे एवं प्रतिवेदन दिनांक 13/04/2016 को आधार बनाकर

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1000—दो / 2017 जिला—सीहोर

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17—04—17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाकुर द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण कंमांक 10/अ—12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 13.4.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2—आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि समस्त अनावेदक द्वारा विधि एवं प्रकिया के विपरीत जाकर विधि विरूद्व तरीके दुषित आदेश पारित कराते हुये प्रकरण कमांक 10/अ—12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 13.4. 2016 को आधार बनाकर अवैधानिक सीमांकन धारा 129 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के विपरीत जाकर मेढिया कास्तकारों एवं निगरानीकर्ता को विधिवत सूचना पत्र जारी किये बगैर राजस्व प्रकिया के विपरीत जाकर अवैधानिक एवं दुषित प्रकिया का पालन करते हुये दिखावटी एवं फर्जी तरीके से किये गये सीमांकन दिनांक 13.4.16 को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।<br>3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से | |

—2— प्रकरण कमांक निगरानी 1000—दो/17

स्पष्ट है कि पंचनामा दिनांक 13.4.16 में स्पष्ट है कि लीलीधर मौके पर उपस्थित था लेकिन हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि लीलाधर को सूचना नहीं थी। परिणामस्वरूप तहसीलदार बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 10/अ—12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 13.4.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य